पंजीयन क्रमांक 01

<u>मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 20–03–2015</u>

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48–क के प्रकाश में वार्ड समितियों का गठन एवं उनके प्रादेशिक क्षेत्र के अवधारण के संबंध में विचार किया गया। आयुक्त से चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त कार्यव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व उपलब्ध संसाधन/स्टॉफ की समुचित जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा जनसुविधा एवं जनहित आदि को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार वार्ड समितियाँ (झोनल कार्यालयों) को पुर्नगठित करने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है।

>kau Ø-	okMZ lfefr ¼>kuy dk;kZy;½dk uke	lfEefyr okMZ Øekad
1	डॉ.हेडगेवार (किला मैदान) झोन	4, 7, 8, 9 व 16
2	लालबहादुर शास्त्री (राजमोहल्ला)झोन	6, 67, 68, 69 व 70
3	शहीदभगतसिंह (नगर निगम)झोन	56, 57, व 58
4	महाराणाप्रताप (संगम नगर)झोन	10, 11, 12, 13 व 17
5	चन्द्रगुप्तमोर्य (सुखलिया)झोन	21, 22, 28 व 33
6	सुभाषचन्द्रबोस (सुभाष नगर)झोन	24, 25, 26 व 27
7	अटलबिहारीवाजपेयी (स्कीम नं. 54)झोन	29, 31, 32 व 34
8	चन्द्रशेखरआजाद (विजय नगर)झोन	30, 35, 36 व 37
9	डॉ.भीमरावअम्बेडकर (पंचम की फेल)झोन	44, 45, 46 व 47
10	डॉ. श्यामाप्रसादमुखर्जी (साकेत नगर)झोन	38, 39, 40, 42, व 43
11	राजमातासिंधिया (स्टेडियम)झोन	48, 49, 54, 55 व 60
12	हरसिद्धी झोन	59, 61, 62, 65 व 66
13	पं. दीनदयालउपाध्याय (बिलावली)झोन	74, 77, 78, 80 व 81
14	राजेन्द्र धारकर (हवा बंगला)झोन	79, 82, 84, व 85
15	लक्ष्मणसिंहगौड़ (दृविड़ नगर)झोन	2, 71, 72, 73, व 83
16	कुशाभाऊठाकरे(एरोड्रम रोड़)झोन	1, 3, 5, 14 व 15
17	महात्मागांधी (नरवल) झोन	18, 19, 20 व 23
18	छत्रपतिशिवाजी (कृषि विहार) झोन	51, 52, 53, 63 व 64
19	सरदारबल्लभभाईपटेल (स्कीम नं. 94) झोन	41, 50, 75 व 76

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद में रखाजावें।
आयुक्त नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही करे।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंहगौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांकदिनांक
प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम ,इन्दौर

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 02 दिनांक 23.03.2015

गतसभा दिनांक 20.03.2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर / पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिट।

की ओर जानकारी एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 03 दिनांक 23–03–2015

दैनिक वेतन भौगी (मस्टर श्रमिकों) की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त से विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्तआयुक्तसेहुईचर्चा के प्रकाशमेंपूर्वमेंमेयर–इन–काउंसिल द्वाराजिनदैनिकवेतनभौगीकर्मचारियों की अवधि वृद्धि दिनांक28–02–2015 तककी गईहै, उन्हीमस्टरकर्मचारियोंकीकार्यआवश्यकता एवंऔचित्य के आधारपरनियमानुसारब्रेकदेकर 29–29 दिवस के लिए जिलाधीश द्वारानिर्धारितपारिश्रमिकदरपर (कोई क्लेममान्य नही होगा) दिनांक30 अप्रेल 2015तकअवधि वृद्धि करकार्यलेने की स्वीकृतिदीजातीहै, इसमेंहोनेवाला व्यय संबंधि बजट मद मेंसेहोगा। यह स्वीकृतिपूर्वमेंमेयर–इन–कौंसिल द्वारादिनांक 28/02/2015 तकमस्टरकर्मचारियों (दैनिक वेतन भोगी) कीअवधि वृद्धि की गईहैउन्ही के लियेमान्य होगी।आयुक्त के माध्यम से 30 अप्रेल 2015 सेपूर्वअवधि वृद्धि के लिए प्रकरणप्रस्तुतकरें।आगामीस्वीकृतिहेतुप्रकरण 30/04/2015 के पूर्वप्रस्तुतकियाजानासुनिश्चितकरें।

3. विभागीय अधिकारी के कार्यप्रमाणीकरण के पश्चातहीभुगतानकियाजावें।

आयुक्तनियमानुसारआवष्यक कार्यवाहीकरे।

(ह)श्रीमती मालिनीलक्ष्मणसिंहगौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगरपालिकनिगम, इन्दौर

क्रमांकदिनांक
प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओरजानकारी एवंआवष्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषित।

सचिव
नगरपालिकनिगम,इन्दौर